

बिहार सरकार  
लघु जल संसाधन विभाग,  
मुख्यालय अनुश्रवण

संचिका संख्या- ल0ज0सं0/PMKSY/239/2020-1335 (प्रौ) पटना, दिनांक-29/6/2020  
प्रेषक,

गोपाल मीणा (भा0प्र0से0)  
विशेष सचिव  
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता  
लघु जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

विषय:-

RIDF के अन्तर्गत स्वीकृत तथा निविदित योजनाओं का DPR, PMKSY के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आपके द्वारा 01 योजना का DPR, PMKSY के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु भेजा गया है। ये वही योजना है जिनकी पूर्व में प्रशासनिक स्वीकृति RIDF के अन्तर्गत दी गयी है तथा इस योजना की निविदा भी आपके द्वारा दिसम्बर 2019/ जनवरी 2020 में की गयी है। निविदा निष्पादित कर कार्य भी कराया जा रहा है।

RIDF शीर्ष में स्वीकृत एवं क्रियान्वित हो रही योजना का चयन कर PMKSY के अन्तर्गत पुनः स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजना कही से भी उचित नहीं है।

आपके इस तरह की कार्रवाई से योजना की स्वीकृति दो शीर्षों में हो सकती है, तथा वित्तीय अनियमितता होने की सम्भवना भी बन सकती है।

अतः अपना स्पष्टीकरण दे कि आपके द्वारा किस परिस्थिति में RIDF द्वारा स्वीकृत तथा क्रियान्वित हो रही योजना को PMKSY में शामिल करने हेतु प्रस्ताव दिया गया।

अनुलग्नक:- PMKSY योजनाओं की सूची।

विश्वासभाजन,

29/6/2020

गोपाल मीणा  
विशेष सचिव,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

27/6